# न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास -- श्री अशोक कुमार, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 53/2017

| अपीलान्ट | बनाम | रेस्पोडेन्ट |
|---|---|---|
| कानाराम पुत्र हजारीराम जाति माली<br>निवासी ढाणी मालीयान तहसील रियाबडी<br>जिला नागौर। | | सरकार जरिये तहसीलदार, रियाबडी। |

उपस्थिति :-

1. श्री रमेश कुमार ढाका अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री कुन्दनसिंह आचीणा राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से।

**निर्णय** दिनांकः 20.02.18

{1}--मामलें के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार, रियाबडी द्वारा धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 291/2016 सरकार बनाम कानाराम में निर्णय दिनांक 24.01.17 के तहत मौजा ढाणी मालीयान के खसरा नं. 2761 गै.मु. नदी भूमि से बेदखली एवं शास्ति के आदेश से असंतुष्ट होकर दिनांक 22.05.17 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील दिनांक 02.06.17 को मियाद का बिंदु विचाराधीन रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अदालत मातहत का मूल अभिलेख मंगवाया गया। रेस्पोडेन्ट की ओर से श्री कुन्दनसिंह आचीणा राजकीय वकील उपस्थित हुए।

{2}--उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक द्वारा मियाद के बिंदु पर बताया गया कि अपीलांट के विरूद्व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उसको बिना सुनवाई का अवसर दिये ही बेदखली का आदेश पारित कर दिया। जो अवैध है। अपीलांट को उक्त आदेश की जानकारी पूर्व में नही थी। क्योंकि उक्त पत्रावली रिपोर्ट तलबी के लिये चल रही थी। जिसके कारण वह न्यायालय में उपस्थित नही हो सका। न ही उसके अधिवक्ता ने सूचित किया। अभी दिनांक 12.05.17 को पटवारी हल्का ने कुआं हटाने की धमकी दी। तब तहसील जाकर पता किया तथा नकले निकलवाई जो नकले दिनांक 14.05.17 को प्राप्त हुई। तब उसे उक्त निर्णय की जानकारी हुई। इस प्रकार से निर्णय की जानकारी से अपील अन्दर मयाद पेश की है। जिसका राजकीय वकील द्वारा विरोध नही किया गया है। अतः मियाद के बिन्दु पर नरम रूख अपनाते हुए अपीलांट की अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है। वकील अपीलांट ने आगे अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि --

{2}(I)--अधीनस्थ न्यायालय ने प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के अनुसार अपीलांट को सुनवाई व साक्ष्य सबूत का अवसर दिये बिना ही व पत्रावली का अवलोकन किये बिना ही विधि विरूद्व आदेश जैर अपील पारित कर दिया। जो निरस्तनीय है।

{2}(II)--पटवारी हल्का ने जो रिपोर्ट दिनांक 22.07.16 को तैयार करना बतायी है। उसमें पीछे नजरी नक्शा में किसी प्रकार का कोई नाप चोप अंकित नही किया। इसलिये उसके द्वारा जो 0.03 हैक्ट. भूमि पर अतिक्रमण बताया है। वह गलत बताया है। जिसके संबंध में जवाब पेश किया गया था। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पुनः रिपोर्ट तलब की गई थी तथा अपीलांट की खातेदारी के खेतों का नाप चोप सहित रिपोर्ट तलब की थी। जिस पर उक्त पत्रावली काफी लम्बे समय तक रिपोर्ट तलबी के लिये ही नियत रही। जो रिपोर्ट तलब की गई थी। वह कब प्राप्त हुई उसके संबंध में भी आदेशिका में कोई अंकन नही है। इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय के वक्त रिपोर्ट प्राप्त हुए बिना ही पुनः रिपोर्ट प्राप्त हुई का अंकन करते हुए दिनांक 24.01.17 को आदेश जैर अपील पारित कर दिया। जो निरस्तनीय है।

{2}(III)--अपीलांट का नदी की भूमि पर कोई अतिक्रमण नही है। बल्कि उसका नलकूप व कुआं अपीलांट की खातेदारी की भूमि में है। जिसका नाप चोप करने से ही स्थिति स्पष्ट हो सकती थी। किन्तु आरआई जसनगर ने खेतों का कोई नाप चोप नही किया न ही अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की पालना

अपर कलक्टर, नागौर

की, जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश में अंकन किया कि नाप चोप रिपोर्ट भेजी जावे। ऐसी कोई रिपोर्ट न तो प्राप्त हुई और न ही आदेशिका में उल्लेख है।

{2}(IV)–अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को साक्ष्य, सबूत पेश करने का समुचित अवसर दिये बिना ही निर्णय जैर अपील पारित कर दिया। जो निरस्तनीय है।

{2}(V)–अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का व आरआई की गलत रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट का वादग्रस्त भूमि पर कब्जा मानकर निर्णय जैर अपील पारित कर दिया। जो गलत है।

{3}–राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि अपीलांट द्वारा ग्राम ढाणी मालीयान में स्थित गै.मु.नदी भूमि पर अतिक्रमण किये जाने पर विधिवत प्रकरण दर्ज कर अपीलांट को नोटिस जारी किया गया। अपीलाधीन आदेश में अपीलान्ट को अतिक्रमी माना जाकर निर्णय जैर अपील पारित किया गया है, जो सही एवं उचित होने से यथावत कायम रखा जाना चाहिये।

{4}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। पटवारी हल्का की अतिक्रमण रिपोर्ट में आराजी भूमि वाके ढाणी मालीयान के खसरा नंबर 2761 गै.मु. नदी भूमि पर अतिक्रमण किया जाना पाया गया है तथा आराजी भूमि राजकीय भूमि होना रेकर्ड से साबित है। आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलांट को विधिवत नोटिस दिया गया है। अपीलांट व उसके अधिवक्ता का अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होना अभिलेख से साबित है। आराजी भूमि की किस्म गै.मु. नदी है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत अंगौर किस्म की भूमि का आवंटन/नियमन किया जाना निषेधित है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत होने से इसमें कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

{5}– उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील खारिज की जाती है।

{6}– निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
अपर कलक्टर,
नागौर

अपर कलक्टर, नागौर